हिमाचल प्रदेशा सरकार ग्रामीण विकास तथा पैपायती राज विभाग ।

ph.

संख्याः पी सी स्व - स्व २ १481/94

- 1/1 may 1

दिनांक, शिमला-171002,23-4-94

" औं धान्नचना"

विश्वाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के सीवधान के अनुचेद 243 k व 243 द्रा के साथा पिठत हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनित्यम 1974 र 1994 का 4 र की धारा, 160 के अधीन प्रदेत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिये निर्वाचन - कि नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचनों के संवालन के अधीक्षण, निदेशान और निर्वाचन के लिये , राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करते हैं और श्री बीठसीठ नेगीं, भारतीय प्रश्नाक सेवा ह सेवा निर्वाच मुख्य सीचन, हिमाचल प्रदेश ह को राज्य निर्वाचन आयुक्त के ल्य में निर्वृत्त करते हैं ।

राज्य निर्वाचन आयुक्त को देय वेतन और भारते, पदावीधा और तेवा की अन्य शातें देती होंगी जो हियायन प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160 की उपधारा १४० के अधिन बनार जाने वाले नियमों में विदित की जारें।

आदेशं द्वारा

मुख्य सीचव, हिमाचल प्रदेशा सरकार

ा॰ श्री बी ०सी ० नेगी, भारतीय प्रशासी नक सेवा १ सेवानितृत मुख्य सीचव १ सेक्टर न्0−1 न्यू विशमना, डियाचन प्रदेश ।

समस्त , तीचवं , डिमाचल प्रदेशा सरकार ।

3. िन्दी सीचत, माननीय मुद्य मन्त्री/ मन्त्री/ राज्य मन्त्री/ सुद्ध संसदीय सीचव,

4. वंद्यीयक, उच्च न्यायालय, वृहसाचल प्रदेशा ।

5- सहस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेशा ।

6. समस्त परियोजना अधिकारी/ उपमण्डलाधिकारी श्नागरिक हे बाण्ड विकास सर्वे पेटायत अधिकारी, विमाचल प्रदेश ।

7. ट्रंप-नित्य-७७, लेडान एवं मुद्रणा सामगी, हिमाचल प्रदेशा विश्वासान।७।००५ को आज हो राजपत्र में प्रकाशान हेतु ।

> अति रक्त रहिच्छा आभीण विकास स्व पंचायती राज[विकाचन प्रदेश तरकार